

तंखा- 2919 /15-7-05 -16 33 1/2005

प्रेषण,

शिव पकाश गुप्त,
संयक्ति सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षाकेन्द्र-2 समायोजकन्त्,
पृथि विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा ४७० अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: २९ जून,

विषय:- शकुन्तला सेण्ट्रल एकेडमी शिक्षित लाइन्स जौनपुर को सी०बी०८८०६०
नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आपूर्ण करते हुये मुझे यह कहने
का अनदेखा हुआ है कि उपर्युक्त संबंधित विद्यालय को ती०बी०८८०६० नईदिल्ली से
संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में छत्तीसगढ़ सरकार औ निम्नालिखित
प्रतिक्रियां दो अधिसूचित की गई हैं:-

१।

विद्यालय की धर्मीयता सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।

२।

विद्यालय की प्रबंध समिति-में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एवं सदस्य
होना।

३।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
विद्यार्थी चाहाँ दो विश्व तुरंगात रहेंगे और उनसे उ०प्र०वा०शिक्षा परिषद्
द्वारा राजीवित विद्यालय में विभिन्न विद्यालयों व विश्व निधारीत शुल्क
से विकास होनी लिया जायेगा।

४।

विद्यालय का नाम अनुदान के लिए जुदान के अंग नहीं की जायेगी
जैसे विद्यालय का नाम अनुदान के लिए जुदान के अंग नहीं की जायेगी
परिषद् की व्यापार व्यापार विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अध्यक्ष विद्यालय
परिषद् की व्यापार व्यापार विद्यालय की तंत्रज्ञता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद्/कौशिल पाठ्य विषय इन्डियन स्कूल एटीफिल्ड विद्यालय
नियमों से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्तमान उक्त विद्यालय
विद्यालय की संबंधित प्राप्ति की जायेगी। असाधारण परिषद् विद्यालय
परिषद् द्वारा प्रदत्त विद्यालय विद्यालय राज्यसभा विद्यालय से प्राप्त अनुदान
द्वारा विद्यालय की जायेगी।


MANAGER
SHAKUNTALA CENTRAL ACADEMY
CIVIL LINES, JAUNPUR

- 2-
- १५। संस्था के विद्युतीय सर्वे प्रिक्षणतार कर्मचारियों को राजलीय सहायता प्राप्त हिता अस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य देते समानों तथा अन्य भूतों से लम्बे तेतन बान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जाएंगे ।
- १६। लक्ष्मी-विद्युतीय उच्चतर शास्त्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा सम्प्रत्यय पर जो भी ग्रांटेश निर्णीत जिये जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जाएगा ।
- १९। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुभोदन के लिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जाएगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की दूक घो शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभान्य पत्र वापस ले लिया जाएगा ।

भद्रोष,

१। शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।

पूर्वरूप एवं दिनांक त्रैव

प्रतिलिपि निरीक्षित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- शिवा, निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- विद्युतीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ।
- 4- निरीक्षक, जांगल भारतीय विद्यालय ३०५०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, शकुन्तला सेण्ट्रल एकेडमी, सिविल लाइन्स, जौनपुर ।
- 6- राड़ सुक ।

जारी ।

१। शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।